संख्या- 785/2026/3569/22-2-2023-17(1248)/2023

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 18 जून, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तेजपाल सिंह उर्फ मुखिया पुत्र श्री बाबू सिंह, निवासी जनपद-एटा की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-27511/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-दिनांक 04.08.2023, दिनांक 04.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तेजपाल सिंह उर्फ मुखिया पुत्र श्री बाबू सिंह, ग्राम-पिलखतरा, थाना-जलेसर, जनपद-एटा का निवासी है। प्रेम प्रसंग में उदयभान उर्फ भूरा द्वारा कु० विजय को भगा ले जाने के विवाद को लेकर दिनांक 13.11.2008 को बन्दी द्वारा अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गोली से मारकर 03 लोगों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को केस नं0-1 एस०टी०नं0-23/2010, धारा-148, 302/149 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश, दस्यु प्रभावित क्षेत्र, एटा के दण्डादेश दिनांक 08.06.2011 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19.10.2012 द्वारा मृत्युदण्ड को लघुकृत करते हुए आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। केस नं0-2 एस०टी०नं0-180/2009, धारा-2/3 गैंगेस्टर एक्ट के अर्न्तगत मा० न्यायालय, ए०डी० जे०/स्पेशल जज (गैंगेस्टर एक्ट-2) एटा द्वारा दिनांक 30.01.2023 को 08 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 06.06.2023 तक अपरिहार 13 वर्ष, 10 माह, 10 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 01 माह, 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 06.06.2023 तक लगभग 52 वर्ष, 06 माह है।

3- सिद्धदोष बन्दी तेजपाल सिंह उर्फ मुखिया पुत्र श्री बाबू सिंह की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की 52 वर्ष की आयु, कारित अपराध की प्रकृति (03 लोगों की हत्या) तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तेजपाल सिंह उर्फ मुखिया(बन्दी संख्या-18821) पुत्र श्री बाबू सिंह, निवासी जनपद-एटा की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या- 785/2026/3569(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, एटा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।